चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 25.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट स्थित स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी सामानों बॉडी प्रोटेक्टर,डण्डा,हेलमेट,टेबल,कुर्सी,मेज,रस्सी आदि का मिलान कराकर सामानों को श्रेणियों के अनुसार अलग अलग रखने,अक्सर इस्तेमाल होने वाले सामानों को आसानी से पहुँचने वाली जगह पर रखें। फर्श को हमेशा साफ रखें और किसी भी तरह की गंदगी को तुरन्त हटवाये ।अवावश्यक सामानों कण्डम सामानों की सूची तैयार कर अलग स्थानों पर रखने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव एवं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

(3). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊ,थाना राजापुर एवं थाना पहाड़ी पुलिस टीम द्वारा अलग अलग स्थानों से 03 अभियुक्तों को कुल 60 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा थाना मऊ मय हमराह आरक्षी मनीष यादव द्वारा अभियुक्त लाला उर्फ अवधेश पुत्र रामपाल जयसवाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम नीवी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी पाउच मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र तिवारी मय हमराह आरक्षी राघवेन्द्र पटेल थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त अनिल सोनकर पुत्र फूलचन्द्र निवासी मुहल्ला कारखाना कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह मय हमराह आरक्षी कमलेश कुमार, आरक्षी दीपक कुमार व महिला आरक्षी प्रियंका सिंह थाना पहाड़ी द्वारा अभियुक्त रमेशचन्द्र पुत्र मानिकचन्द्र यादव निवासी भुईहरीमाफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी क्वार्टर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।